मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2946

12.03.2021 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र में वृद्धि

2946. श्री मोहन मंडावी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश भर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और परिणाम क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के कुल भू-क्षेत्र का न्यूनतम एक-तिहाई क्षेत्र तथा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में उस क्षेत्र का दो-तिहाई क्षेत्र वन अथवा वनावरण के तहत लाने की परिकल्पना की गई है ताकि कटाव तथा भूमि क्षरण को रोका जा सके तथा कमजोर पारितंत्र की स्थिरता सुनिश्चित हो। एनएफपी, 1988 के अनुरूप, मंत्रालय देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वन तथा वृक्षावरण को बढ़ाने हेतु अनेक पहलें कर रहा है जो निम्ननुसार हैं:

i. वन और वन्यजीवों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए विभिन्न कानून जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 राज्य/संघ शासित प्रदेश पर लागू अन्य केन्द्रीय / राज्य कानून शामिल है, संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश द्वारा लागू किए जाते हैं। मंत्रालय दावानल के विरूद्ध संरक्षण के लिए वन दावानल निवारण और प्रबंधन स्कीम के तहत राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन नामक दो मुख्य वनीकरण स्कीमें लागू कर रहा है। एनएपी के तहत 2000 में इसके प्रवर्तन के समय से 2019-20 तक 3896 करोड़ रूपये के निवेश के साथ राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों में 2 मिलियन हे. से अधिक क्षेत्र को वनीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है और जीआईएम के तहत 2015-16 से 2019-20 तक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 343 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

iii. भारत सरकार ने प्रतिपूरक निधि अधिनियम, 2016 के अनुसार 31.01.2021 तक संबंधित राज्यों के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय कोष से 31 राज्य कोषों को 48477.77 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

iv. एमओइएफसीसी शहरी वनों के संरक्षण के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) के तहत लोगों की भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण/वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह स्कीम 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में 200 नगर वन बनाने का लक्ष्य रखती है।

v. इसके अलावा, बहुविभागीय, बहुएजेंसी गतिविधि होने के नाते वृक्षारोपण अन्य मंत्रालयों/संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों/निधियन स्रोतों के तहत और राज्य योजना बजट के माध्यम से भी क्षेत्र-वार रूप से किया जाता है।

vi. कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफ डब्ल्यू) कृषि भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषिवानिकी नीति 2014 की सिफारिश के हिस्से के रूप में वर्ष 2016-17 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कृषि वानिकी उप-योजना (एसएफएएफ) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को उन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें चयनित वृक्ष प्रजातियों के लिए पारगमन विनियमों को उदार बनाया है। वर्तमान में योजना को 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

vii. आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अधीन, मिशन शहरों में 3500 एकड़ भूमि में 1776 उद्यान विकसित किए गए है जिनका शहरी हरित आवरण में भी योगदान है।

viii. वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां, वनेत्तर क्षेत्रों में भी, विभिन्न कार्यक्रमों/वित्त पोषण स्रोतों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीम/योजना के अधीन शुरु की गई हैं।

(ग) इस मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अपने विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समय-समय पर परामर्शिकाएं जारी की हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के समन्वयन तथा देखरेख के लिए ध्वनि तंत्र को रखने की भी सलाह दी है।

(घ) बहु-विभागीय प्रयासों से विकास की गति बनाए रखते हुए, निर्वनीकरण की समस्या का सामना करते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि वनावरण मजबूत हुआ है और इसमें अनेक वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की नवीनतम भारतीय राज्य वन रिपोर्ट (आइएसएफआर, 2019) से स्पष्ट है कि देश में कुल वन तथा वृक्षावरण 807,276 वर्ग किलोमीटर है (जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत) है। आइएसएफआर, 2019 के अनुसार वन तथा वृक्षावरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-।। पर दिया गया है। आइएसएफआर 2015 से राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर वन तथा वृक्ष आवरण में संयुक्त रूप से 13,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

******

अनुबंध-I

'वन क्षेत्र में वृद्धि' के संबंध में श्री मोहन मंडावी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2946 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआइएम) के अधीन विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.स.	**राज्य**	**एनएपी**	**जीआइएम**
1	आंध्र प्रदेश	9.75	3.11
2	बिहार	5.41	-
3	छत्तीसगढ़	24.39	21.35
4	गुजरात	0.00	-
5	हरियाणा	2.71	-
6	हिमाचल प्रदेश	5.17	-
7	जम्मू और कश्मीर	7.20	-
8	झारखंड	0.00	-
9	कर्नाटक	14.22	4.69
10	केरल	0.00	16.32
11	मध्य प्रदेश	16.52	54.81
12	महाराष्ट्र	22.06	10.30
13	ओडिशा	23.30	20.34
14	पंजाब	0.00	9.40
15	राजस्थान	3.35	-
16	तमिलनाडु	2.07	-
17	तेलंगाना	0.00	-

18	उत्तर प्रदेश	0.99	-
19	उत्तराखंड	5.94	-
20	पश्चिम बंगाल	0.00	9.43
	कुल (अन्य राज्य)	**143.10**	**149.75**
	उत्तर पूर्वी राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	0.86	-
22	असम	0.58	-
23	मणिपुर	7.57	15.47
24	मेघालय	2.38	-
25	मिजोरम	13.59	60.07
26	नगालैंड	14.60	-
27	सिक्किम	5.98	6.45
28	त्रिपुरा	8.70	-
	कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)	**54.26**	**81.99**
	कुल योग	**197.37**	**231.74**

ख. काम्पा के राष्ट्रीय प्राधिकरण से राज्य प्राधिकरणों को अंतरित निधियों का राज्य वार-ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	31.01.2021 को राज्यों को अंतरित निधियां (रुपए करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	1734.81
2	असम	1588.72
3	मणिपुर	560.81
4	मेघालय	522.95
5	मिजोरम	5791.70
6	नगालैंड	238.16
7	सिक्किम	1484.60
8	त्रिपुरा	1282.65
9	अरुणाचल प्रदेश	1660.72
10	असम	4158.02
11	कर्नाटक	1350.37
12	केरल	81.59
13	मध्य प्रदेश	5196.69
14	महाराष्ट्र	3844.24
15	मणिपुर	309.76
16	मेघालय	163.31
17	मिजोरम	212.98
18	ओडिशा	5933.98
19	पंजाब	1040.84
20	राजस्थान	1748.26

21	सिक्किम	392.36
22	तमिलनाडु	113.42
23	तेलंगाना	3110.38
24	त्रिपुरा	183.65
25	उत्तर प्रदेश	1819.63
26	उत्तराखंड	2675.09
27	पश्चिम बंगाल	236.48
	कुल (क)	**47436.17**
28	अंडमान और निकोबार	16.41
29	चंडीगढ़	11.38
30	जम्मू और कश्मीर	764.54
31	लद्दाख	249.27
	कुल (ख)	**1041.60**
	कुल योग (क+ख)	**48477.77**

अनुबंध-II

'वन क्षेत्र में वृद्धि' के संबंध में श्री मोहन मंडावी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2946 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

.

देश के वन और वृक्ष आवरण का राज्य-वार विवरण (आइएसएफआर, 2019 के अनुसार)

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वनावरण	वृक्षावरण	कुल वन और वृक्षावरण
1	आंध्र प्रदेश	162968	28147	3753	**31900**
2	अरुणाचल प्रदेश	83743	66964	807	**67771**
3	असम	78438	28105	1496	**29601**
4	बिहार	94163	7299	2263	**9562**
5	छत्तीसगढ	135192	55547	3833	**59380**
6	दिल्ली	1483	192	113	**305**
7	गोवा	3702	2229	323	**2552**
8	गुजरात	196244	14757	8024	**22781**
9	हरियाणा	44212	1588	1415	**3003**
10	हिमाचल प्रदेश	55673	15100	822	**15922**
11	जम्मू और कश्मीर	222236	23241	7815 *	**31056**
12	झारखंड	79716	23553	2922	**26475**
13	कर्नाटक	191791	37550	5713	**43263**
14	केरल	38852	20321	2959	**23280**
15	मध्य प्रदेश	308252	77414	8073	**85487**
16	महाराष्ट्र	307713	50682	9831	**60513**
17	मणिपुर	22327	17346	220	**17566**

18	मेघालय	22429	17146	657	**17803**
19	मिजोरम	21081	18186	467	**18653**
20	नगालैंड	16579	12489	379	**12868**
21	ओडिशा	155707	51345	3993	**55338**
22	पंजाब	50362	1837	1622	**3459**
23	राजस्थान	342239	16572	8266	**24838**
24	सिक्किम	7096	3344	35	**3379**
25	तमिलनाडु	130060	26281	4671	**30952**
26	तेलंगाना	112077	20419	2669	**23088**
27	त्रिपुरा	10486	7726	215	**7941**
28	उतार प्रदेश	240928	14679	7442	**22121**
29	उत्तराखंड	53483	24295	767	**25062**
30	पश्चिम बंगाल	88752	16847	2136	**18983**
31	अंडमान और निकोबार द्वीप	8249	6742	35	**6777**
32	चंडीगढ़	114	22	10	**32**
33	दादरा और नगर हवेली	491	207	30	**237**
34	दमन और दीव	111	20	10	**30**
35	लक्षद्वीप	30	27	2	**29**
36	पुड्डुचेरी	490	54	27	**81**
	कुल योग	**3287469**	**708273**	**93815**	**802088**

*नियंत्रण रेखा से बाहर पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र शामिल है।

*****